न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2009

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री विमलचन्द जैन पुत्र श्री लखमीचन्द जैन जाति अग्रवाल जैन निवासी सदर बाजार सिरोही तहसील व जिला सिरोही।		1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार भावरी। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिए अधिशाषी अभियन्ता खण्ड आबूरोड जिला सिरोही।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम, 1963

उपस्थिति :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार राज) सिरोही

निर्णय

दिनांक : 16.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र भारतीय म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत उपतहसीलदार भावरी द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 11.01.1983 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील के साथ साथ पेश किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की सम्पत्ति सरूपगंज में स्थित है जिसका पट्टा संख्या 363 दिनांक 06.08.1951 जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जारी किया गया था। प्रार्थी की उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि मौजा सरूपगंज के खसरा संख्या 1225/2068, 1223 तथा 1224 में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पट्टेशुदा भूमि जो खसरा संख्या 1225 में स्थित है, को सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में गैर मु. सडक दर्ज कर दिया। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण किए बिना आदेश पारित किया है। मौके पर उक्त खसरा संख्या में आबादी भूमि है। पूर्व में भी तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पट्टेशुदा भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज होने से धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाई की गई परन्तु पट्टा दिखाने पर कार्यवाई ड्रॉप की गई। प्रार्थी उपतहसीलदार भावरी द्वारा नामान्तरकरण [illegible] करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल करने से उसके विरूद्ध अपील को पेश करने [illegible] आंशिक विलंब हुआ है । अतः विलंब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश प्रदान करावें ।

अप्रार्थी की ओर से बहस में श्री नायब तहसीलदार, पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपील देरी से प्रस्तुत की गई है । अतः उसे म्याद बाहर माना जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा उपतहसीलदार भावरी के नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 11.01.1983 के विरूद्व अपील 28.07.2009 को प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील 30 दिन के अन्दर अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । इस हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं देकर नामान्तरकरण की कार्यवाई में प्रार्थी पक्षकार नहीं होने से प्रार्थी को आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपतहसीलदार भावरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 11.01.1983 को किया था। प्रार्थी ने वर्ष 1983 से 25 साल की लम्बी अवधि के बाद दिनांक 28.07.2009 को अपील इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थी अधिवक्ता के कथन से हम प्रथम दृष्टया सहमत नहीं है कि उपतहसीलदार भावरी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाई में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाई राजस्व रेकर्ड के आधार पर की गई थी एवं राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कहीं पर भी अंकित नहीं होने के कारण उपतहसीलदार भावरी द्वारा प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी के पास विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 06.08.1951 में जारी किया गया था एवं प्रार्थी के विरूद्व वर्ष 1983 से पूर्व में 91 भू–राजस्व की कार्यवाई संपादित होने के बाद प्रार्थी को ज्ञान हो गया था कि उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को नामान्तरकरण से पूर्व ही पता था कि विवादित भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश नहीं किया। इसके बाद उपतहसीलदार भावरी द्वारा 11.01.1983 में नामान्तरकरण संख्या 594 में उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गै.मु.सडक दर्ज किया गया। प्रार्थी ने जानकारी में आने के बाद लगभग 30 वर्ष तक म्यूटेशन खुलवाने के लिए आवेदन नहीं किया एवं दिनांक 11.01.1983 के नामान्तरकरण के भी लगभग 25 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई ठोस आधार नहीं बताया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का म्याद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner